पत्र संख्या-9/पें०(6)-02/2018 481/वि.से.

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

सतेन्द सिंह,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी आयुक्त/उपायुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी पुलिस अधीक्षक,
सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन पदाधिकारी,
सभी ई० पेंशन नोडल पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

प्रधान महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 13.08.19

विषयः- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सप्तम् केन्द्रीय वेतन आयेाग के आलोक में गठित फिटमेन्ट कमिटि की अनुशंसा आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 35/वि० दिनांक 22.02.2019 संसूचित है । उक्त संकल्प की कंडिका 8 के द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश निर्गत करने का दायित्व महालेखाकार कार्यालय, राँची, झारखण्ड को दिया गया है ।

संकल्प संख्या 35/वि० दिनांक 22.02.2019 के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के लाभ हेतु निम्न प्रक्रिया का गठन किया गया है :-

(क) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत वैसे राजपत्रित सरकारी सेवक जिनका वेतन पूर्जा महालेखाकार से निर्गत होता था, वे विहित प्रपत्र (संलग्न) में आवेदन, P.P.O की प्रति एवं वेतनपुर्जा की छायाप्रति/ऑडिट संख्या के साथ सीधे महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करेंगे ।

(विहित प्रपत्र पेंशन पोर्टल में "Download" से भी प्राप्त किया जा सकत है ।)

(ख) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत वैसे राजपत्रित सरका सेवक जिनका वेतन पूर्जा वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग से निर्गत होता ह तथा शेष सेवानिवृत अराजपत्रित सरकारी सेवक अपने अंतिम पदस्थापन कार्यालय D.D.O से संपर्क करेंगे ।

ऐसे मामलों में D.D.O का निम्न दायित्व होगा :-

(i) वांछित जानकारी संबंधित सेवानिवृत सरकारी सेवक से प्राप्त कर जानका का मिलान कार्यालय में संधारित अभिलेख से करते हुए Pension Portal में D.D.O Log एवं Password के माध्यम से Login कर ऑनलाईन प्रपत्र भरेंगे ।

(ii) पूर्णतः भरे हुए प्रपत्र का प्रिंटआउट निकाल कर सेवानिवृत सरकारी सेव का हस्ताक्षर एवं स्वंय का हस्ताक्षर अंकित कर अंतिम वेतन व वेतनमान संबं उपलब्ध साक्ष्य, P.P.O की छायाप्रति, यदि पूर्व में पेंशन पुनरीक्षित हुआ हो त पुनरीक्षित पेंशन का प्राधिकार पत्र की छायाप्रति एवं सेवा पुस्तिका मूलरूप में संलग कर महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित करेंगे ।

(iii) ऑनलाईन प्रपत्र भी महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित करेंगे । पेंशन से प्राप्त आवेदन को 15 दिनों के अन्दर ऑन लाईन महालेखाकार को प्रेषित क देंगे ।

(ग) महालेखाकार कार्यालय ऑनलाईन के साथ ऑफलाईन प्राप्त आवेद की समीक्षा कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे ।

(घ) महालेखाकार कार्यालय द्वारा संशोधित पेंशन अदायगी आदेश की प्र संबंधित कोषागार एवं सेवानिवृत सरकारी सेवक को डाक के माध्यम से उपलब कराया जायेगा साथ ही पेंशन पोर्टल में भी Upload कर दिया जायेगा ।

(ङ) ऑनलाईन प्रपत्र भरने इत्यादि कठिनाईयों की स्थिति में PM कोषांग, योजना सह वित्त विभाग से संपर्क स्थापित कर निराकरण किया जा सकत है ।

विश्वासभाजन

8/8/16

(सतेन्द्र सिंह)

सचिव (व्यय) ।